निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 51/2019(रे0वाद)
दायर दिनांक – 29/07/2019
निर्णय दिनांक – 22/01/2025

अनवान

1. मोहनसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. लादूसिंह मुतबन्ना रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. रतनकंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र खेमसिंह जाति राजपूत निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. जवानसिंह पुत्र खेमसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. संतोषकंवर पुत्री खेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
6. दिलखुशंकर पुत्री खेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
7. तेजसिंह पिता खेमसिंह जाति राजपूत जरिये संरक्षक माता रकूकंवर पत्नी खेमसिंह निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
8. कानसिंह पिता खेमसिंह जाति राजपूत जरिये संरक्षक माता रकूकंवर पत्नी खेमसिंह निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
9. तहसीलदार देवगढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 588 खसरा संख्या 272, 273, 1811, 1812, 1818 कुल किता 05 कुल रकबा 11.10 बीघा खाता संख्या 290 खसरा संख्या 816, 837, 838, 847, 847 कुल किता 05 कुल रकबा 2.14 बीघा एवं खाता संख्या 592 रकबा 1822, खाता संख्या 594 रकबा 822, 829, 831, 833, 840 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.19 बीघा, खाता संख्या 589 आराजी संख्या 820 रकबा 0.10 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 2 के पर दादा सालमसिंह के तीन पुत्र रणसिंह मोडसिंह व रूपसिंह थे रणसिंह जी ने अपने जिवन काल में उनका 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण भुमि अपने छोटे भाई श्री खेमसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर दी गयी जिससे 2/3 हिस्सा मोडसिंह के व 1/3 रूपसिंह का रहा ! श्री मोडसिंह के तीन पुत्र लादूसिंह खेमसिंह व मोहनसिंह थे जिसमे लादूसिंह अपने पिता के जीवन काल में ही अपने काका रूपसिंह के गोद चला गया जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा 6.8.1974 को निष्पादित किया गया व बाद मे खेमसिंह के फोत हो जाने से उसका लडका वादी संख्या दो मेहेन्द्रसिंह जवानसिंह खेतसिंह कानसिंह एंव उनकी पत्नि रकू कंवर है ।। मोडसिंह पिता सालमसिंह की मृत्यु के बाद विरास्त से भुमि लादूसिंह खेमसिंह, मोहनसिंह के नाम दर्ज हो गयी जबकि वास्तव में खेमसिंह व मोहनसिंह के नाम दर्ज होनी थी क्योंकि लादूसिंह मो रूपसिंह के गोद चला गया व रूपसिंह की मृत्यु के बाद रूपसिंह की भुमि दतक पुत्र लादूसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड हो गयी । लादूसिंह के मन में कपट आ जाने से उसके दतक पिता रूपसिंह की विरास्त से मिली भुमि को नाम पर बक्षीस कर दी गयी खाते जमाबन्दी मे दर्ज है चले जाने के बाद अपने जमीन का उपीयोग उपभोग उसकी पत्नि रतनकंवर जो कि प्रतिवादी संख्या 2 है के तथा अब वह अपने जायन्दा पिता की भुमि जो उसके उसमे से भी हिस्सा लेना चाहता है। लादूसिह के गोद दतक पिता के घर पर ही रहता था एंव तथा अपनी करता रहा है तथा अपने नाम के आगे अपने दतक पिमा रूपसिंह का नाम वलदियत के रूप में उपीयोग करता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

लादूसिंह का नाम उसके जायन्दा पिता कि विरास्त मे गलत दर्ज हो गया जबकि उसके अन्यन्त्र गोद चले जाने पिता की सम्पत्ति में हक अधिकार समाप्त हो जाता है के बाद उसके जायन्दा जिससे अब लादूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का उसके जायन्दा पिता की भूमि में कोई अधिकार नहीं होने से श्री मोडसिंह की भुमि में सिर्फ खेमसिंह व मोहनसिंह का ही नाम आना चाहिये एवं श्री खेमसिंह की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान के नाम भुमि का अंकन हो गया । एव मोडसिंह की भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवाने यह घोषणा का वाद वादीगण द्वारा विरूध प्रतिवादी संख्या 1 के विरूध पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा उसके मन में कपट आने से खातेदारी भुमि उसकी पत्नि के नाम रजिस्टर्ड बक्षीस कर दी एंव अब अपने पूर्व पिता के भुमि में नाम का अंकन होने से उसका कब्जा वादीगण से नहीं छीने इस हेतु वादी स्थाई निषेधाज्ञा का है। वाद कारण दिनांक 28.06.2019 को प्रतिवादी लादूसिंह द्वारा वाद ग्रस्त भुमि मे लादूसिंह के नाम रेकार्ड में दर्ज भुमि पर कब्जा करने की धमकी से उत्पन्न हुआ । वादग्रस्त भुमि ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित होकर न्यायालय आप को श्रवधाधिकार है।इस प्रकरण से सम्बन्धित मामला भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय एंव अन्य न्यायालय में विचाराधीन नही है। एंव न ही निर्णत हुआ है। वाद पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः श्रीमान् से प्रार्थना है। कि (क) यह कि वाद ग्रस्त आराजी खाता संख्या के रक्बा में प्रतिवादी संख्या 1 लादूसिंह का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की भुमि को वादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 के नाम का अंकन करने की घोषणात्मक डिकी सादीर फरमायी जावे । (ख) प्रतिवादी संख्या 1 लादूसिंह अपने परिवारजन नौकर चाकर एजेन्ट आदि की सहायता से वादीगण के कब्जे में स्थित वादग्रस्त आबादी में दखल उत्पन्न नही करे एंव वादग्रस्सत भुमि का कब्जा वादीगण से नही छीने हेतु विपझीगणो के विरुध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे ।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब बन्द करने के आदेश दिये गए। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 09 पेरोकार सरकार ने जवाब पेश नही करना चाहा।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह नाथूसिंह, महेन्द्रसिंह, मोहनसिंह, अभयसिंह के शपथ पत्र पेश किए। दस्तावेजी साक्ष्य खाता संख्या 589, 594, 590, 588,592 की प्रमाणित प्रति, रजिस्टर्ड गोदनामा की प्रति एवं अन्य नामान्तरण की प्रतियां पेश किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 की ओर से कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया गया वादी ने भी उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व किया गया है।

अतः वादी का आंशिक रूप से वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 588 खसरा संख्या 272, 273, 1811, 1812, 1818 कुल किता 05 कुल रकबा 11.10 बीघा खाता संख्या 290 खसरा संख्या 816, 837, 838, 847, 847 कुल किता 05 कुल रकबा 2.14 बीघा एवं खाता संख्या 592 रकबा 1822, खाता संख्या 594 रकबा 822, 829, 831, 833, 840 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.19 बीघा, खाता संख्या 589 आराजी संख्या 820 रकबा 0.10 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 07 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हेतु तहसीलदार,

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 51/2019

अनवान

1. मोहनसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1 लादूसिंह मुतबन्ना रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. रतनकंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र खेमसिंह जाति राजपूत निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. जवानसिंह पुत्र खेमसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. संतोषकंवर पुत्री खेमसिंह जाति राज़पूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
6. दिलखुशंकर पुत्री खेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
7. तेजसिंह पिता खेमसिंह जाति राजपूत जरिये संरक्षक माता रकूकंवर पत्नी खेमसिंह निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
8. कानसिंह पिता खेमसिंह जाति राजपूत जरिये संरक्षक माता रकूकंवर पत्नी खेमसिंह निवासी ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
9. तहसीलदार देवगढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 22/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का आंशिक रूप से वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 588 खसरा संख्या 272, 273, 1811, 1812,

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

1818 कुल किता 05 कुल रकबा 11.10 बीघा खाता संख्या 290 खसरा संख्या 816, 837, 838, 847, 847 कुल किता 05 कुल रकबा 2.14 बीघा एवं खाता संख्या 592 रकबा 1822, खाता संख्या 594 रकबा 822, 829, 831, 833, 840 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.19 बीघा, खाता संख्या 589 आराजी संख्या 820 रकबा 0.10 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 07 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ ● जिला राजसमन्द (राज.)